न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।

उपस्थित :– धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच0जे0एस0)

JO Code UP 2002

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 761 सन् 2026

CNR No. UPGH010015132026

राकेश सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व0 गुलाब चन्द्र सिंह, साकिन गोपालपुर जल्दी, थाना नोनहरा, जिला गाजीपुर।

————आवेदक/अभियुक्त

प्रति

1–उत्तर प्रदेश राज्य जरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गाजीपुर
2– रीता सिंह पत्नी श्रवण कुमार सिंह, साकिन गोपालपुर जल्दी, थाना नोनहरा, गाजीपुर,
3– प्रभारी निरीक्षक, थाना नोनहरा, जिला गाजीपुर।

————विपक्षीगण

मुकदमा अपराध संख्या–76/2026
धारा– 109(1) भारतीय न्याय संहिता,
थाना– नोनहरा, **जिला–** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर से–श्री संजय रावत, एडवोकेट,
राज्य की ओर से– श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी

दिनांक 29–05–2026 :–

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त राकेश सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–76/2026, अंतर्गत धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना नोनहरा, जिला गाजीपुर के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रीता सिंह पत्नी श्रवण कुमार सिंह, निवासी गोपालपुर जल्दी, थाना नोनहरा, जिला गाजीपुर ने थाना नोनहरा पर दिनांक 06–03–2026 को समय 00:22 बजे इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराया कि दिनांक 05–03–2026 को समय शाम को 3:00 बजे के आसपास उसके पति श्रवण कुमार सिंह दुकान पर बैठे थे तब राकेश सिंह दुकान पर आये तथा कमलेश ने त्यौहारी मांगी तब वह अपनी पिस्तौल निकाल कर उसके पति श्रवण कुमार सिंह को गोली मार दी जो उनके पैर के जांघ में लग गयी जिन्हें लेकर वे लोग इलाज हेतु जिला अस्पताल ले गये। वादिनी मुकदमा के तहरीर पर इस प्रकरण की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा अभिकथित अपराध कारित नहीं किया गया है उसे इस प्रकरण में गलत तौर पर फंसाया गया है। पक्षकारों के परिवार के बीच पूर्व से मुकदमेंबाजी की रंजिश चली आ रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का चश्मदीद साक्षी कमलेश को बताया गया है परन्तु कमलेश ने मय शपथपत्र बयानहल्फी पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को देकर स्वयं को घ ाटना के समय उपस्थित होना नहीं बताया है बल्कि अपने को इलाज हेतु मेंदांता हास्पीटल गुरूग्राम गुड़गॉव में दिनांक 02–03–2026 से दिनांक 06–03–2026 तक भर्ती होना बताया है। अभिकथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। उसे किसी मुकदमें में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करने को तैयार है। उक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से जमानत का विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत मामले में संलिप्तता पायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, इंजरी रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहअभियुक्त कमलेश द्वारा त्यौहारी मांगने पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा पिस्टल से फायर करना कहा गया है। वादिनी मुकदमा के पति श्रवण कुमार सिंह के जांघ में गोली लगना कहा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त की श्रवण कुमार सिंह की हत्या कारित करने का आशय नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कमलेश द्वारा त्यौहारी मांगना कहा गया है। परन्तु मजरूब श्रवण कुमार सिंह एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सत्येन्द्र सिंह ने कथन किया है कि अखिलेश द्वारा त्यौहारी मांगी गयी, जिस पर आवेदक/अभियुक्त अपने कमर से छोटी बन्दूक निकाल कर गोली चला दिया। पत्रावली पर संलग्न इंजरी रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 05.03.2026 को सर्वप्रथम 03:30 पी०एम० पर मजरूब श्रवण कुमार सिंह का डा० मुख्तार अंसाली चिकित्सालय, गाजीपुर में मेडिकल कराया गया, जिसमें उसे तीन चोटें आना बताया गया है। उक्त सभी चोटों को लैसेरेटेड वुंड बांये पैर पर आना बताया गया है तथा उक्त चोटों को कठोर व भोथरे वस्तु से पहुँचाया जाना बताया गया है। चोटहिल का प्रथम मेडिकल 03.30 पी०एम० पर शुरू हुआ और 03.45 पी०एम० पर समाप्त हो गया। पुनः चोटहिल का दोबारा उसी अस्पताल में 04.30 पी०एम० पर मेडिकल किया गया, जिसमें चोट की प्रकृति एक्सीडेन्टल इन्जरी गनशॉट द्वारा बताया गया है। जबकि घटना 03.00 पी०एम० की बतायी गयी है। अर्थात 03.00 पी०एम० बजे घटना घटित होने के बाद जब प्रथम बार चोटहिल का मेडिकल कराया गया, उस समय चोटहिल के शरीर पर किसी भी प्रकार की फायर आर्म्स की इंजरी नहीं पायी गयी थी। एक घण्टा पश्चात पुनः मेडिकल कराने पर फायर आर्म्स की इन्जरी होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है। जहाँ तक आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास है, इस सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था पवन कुमार पाण्डेय बनाम उ० प्र० राज्य** 2007 (1) JIC 680 (Lucknow Bench) में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रथम मेडिकल में फायर आर्म्स की मजरूब को कोई चोट नहीं पायी गयी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस के समक्ष दिये गये प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयान में विरोधाभाष होने को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

6– आवेदक/अभियुक्त राकेश सिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। गिरफ्तारी की दशा में आवेदक/अभियुक्त द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष मुब० 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये कि–

(I) आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा व पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,

(II) मामले को न्यायालय में प्रेषित किये जाने की स्थित में आवेदक/अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी जब तक विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी तब तक वे प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा,

(III) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सकें,

(IV) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

(V) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

दिनांकः 29–05–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर
JO Code: UP 2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.05.29 12:58:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court